वर्ष 1, संख्या 101 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

जनवरी 2008 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को इस आधार पर कि वह एक ''अशिक्षित ग्रामीण किसान'' है, तीन मास से कम की सज़ा देकर छोड़ देने के आदेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा लज्जाजनक करार दिए जाने पर सभी वर्ग की महिलाओं को आभार मानना चाहिए।

इससे पूर्व एक सैशन न्यायालय ने दिन-दहाड़े एक महिला का बलात्कार करने वाले इस व्यक्ति को सात वर्ष के कारावास की सज़ा दी थी। किन्तु उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए उसे छोड़ दिया कि 2 मास और तीन दिन जो उसने जेल में बिताये हैं वह पर्याप्त सजा है। बलात्कार पर कठोर रुख अपनाते हुए, उच्चतम न्यायालय ने सैशन न्यायालय द्वारा पहले दी गयी सात वर्ष के कारावास की सज़ा को बरकरार रखा।

सज़ा को घटाने की उच्च न्यायालय की संवेदनाहीन दृष्टि पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नाममात्र की सज़ा देना अथवा सहानुभूति वाला दृष्टिकोण अपनाना लम्बे अरसे में हानिकारक सिद्ध होगा। न्यायालय ने कहा कि बलात्कार के आरोपियों के प्रति नरमी बरतना सामाजिक हित के प्रतिकूल है। सामाजिक हितों की

चर्चा में बलात्कारियों के प्रति नरमी बरतना

रक्षा की जानी चाहिए और सज़ा प्रणाली की कड़ियों द्वारा उसे मजबूत बनाया जाना चाहिए। अपने निर्णय को अग्रेतर स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपराधी को कानून का उल्लंघन करने की सज़ा मिलती है। ''सजा अपराध साबित होने की नियति है। अवांछित नरमी दिखाना संभावित अपराधियों को प्रोत्साहन देने के समान है। यौन हिंसा न केवल अमानवीय कृत्य है, अपितु महिला के निजित्व के अधिकार तथा उसके मान-सम्मान का गैर कानूनी अतिक्रमण है जो उसके आत्म-सम्मान एवं प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है।''

हाल ही की बात है जब उच्चतम न्यायालय ने एक न्यायाधिकारी की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति को इस आधार पर सही ठहराया था कि उसने एक नाबालिग के यौन-उत्पीड़न के मामले में नरमी दिखाई थी। उस न्यायाधीश ने एक आरोपी को जिसने 15 मास से अधिक की सज़ा काट ली थी, अपराधी प्रोबेशन अधिनियम के अधीन पेरोल पर रिहा कर दिया। उसने इस बात की अनदेखी कर दी कि नाबालिग लड़की के बलात्कार के लिए कानून में कम से कम 10 वर्ष के कठोर करावास का प्रावधान है और यह सज़ा आजीवन कारावास और जुर्माने तक भी जा सकती है।

निस्संदेह, अनेक न्यायाधीश बलात्कार एवं अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में सज़ा को घटा कर 'भुगती हुई सज़ा की अवधि' करने के आदी हैं जब कि अपराधी को पर्याप्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि सज़ा की अवधि में अपराध की सामाजिक गंभीरता नज़र आये।

राष्ट्रीय चिकित्सा-शात्र अकादमी द्वारा एसएमएम मेडीकल कालिज की हीरक जयंती के अवसर पर जयपुर में आयोजित समारोह में आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास मुख्य अतिथि के रूप में गयीं।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके तथा डाक्टरों के व्यवसाय के बीच मामूली अंतर है। डाक्टर समुदाय लोगों की बीमारियों का इलाज कर उन्हें ठीक करता है जब कि उनका काम लोगों के मस्तिष्क से अनभिज्ञता और अंधविश्वास की बुराईयों को दूर करना तथा ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं, के बीच जागरूकता पैदा करना है। उन्होनें डाक्टरों से उच्च चिकित्सा आदर्श स्थापित करने का आग्रह किया ताकि रोगियों का अधिकाधिक हित हो सके।

एकत्रित जनों को संबोधित करते हुए डा. गिरिजा व्यास

सरकारी आवासों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण

केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 11 वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार निर्मित आवास-गृहों में महिलाओं को 50 प्रतिशत कोटा दिया जायेगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि अकेली महिलाओं, विधवाओं तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन बसर कर रही महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जायेगी।

11 वीं योजना के अनुसार, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली गृह-व्यवस्था में समस्त गृहों में आधा भाग गृहणी के नाम होना चाहिए या पूरा एक ही महिला के नाम।

योजना में कहा गया है कि ''गृह के स्वामित्व से न केवल आश्रय निश्चित होता है, अपितु ऋण बाजार में यह जमानत का काम भी करता है और इससे सामाजिक दर्जा भी बढ़ता है तथा प्राकृतिक अथवा मनुष्य-जनित आपदाओं के समय सुरक्षा भी मिलती है।''

आयोग ने यौन-उत्पीड़न विधेयक क्रियान्वित करने का आग्रह किया

राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्र सरकार को लिखा है कि यौन उत्पीड़न विधेयक को शीघ्र क्रियान्वित करें। इस विधेयक में कुछ संशोधनों द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं पर यौन प्रहार को बलात्कार की परिभाषा में शामिल किया जाये।

आयोग ने बलात्कार की परिभाषा में कुछ परिवर्तन करने के सुझाव दिए हैं। आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि महिलाओं से छेड़छाड़ और उन्हें तंग करने के कृत्य को भी बलात्कार के समकक्ष माना जाये। नाबालिगों सहित यौन प्रहार के सभी पीड़ितों के प्रति प्रक्रिया को बेहतर और संवेदनात्मक बनाने के प्रयोजन से विधेयक में दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है।

डा. व्यास ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि महिलाओं संबंधित कानूनों पर पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण प्रति वर्ष अनिवार्य कर दिया जाये।

मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को वक्फ द्वारा 1200 रु. की राशि प्रदान

आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को 1200 रु. प्रतिमास की राशि प्रदान करता है। ऐसी तलाकशुदा महिलाएं जिन्होंने पुन:विवाह नहीं किया है और रिश्तेदारों, बच्चों या मा-बापों द्वारा जिनकी सहायता नहीं की जा रही है और जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, यह मासिक राशि पाने की पात्र हैं। यह लाभ उठाने के लिए वक्फ ने सभी पात्र महिलाओं से स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत को अर्जी देने या फिर बोर्ड द्वारा स्थापित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने को कहा है। ये नंबर हैं : 9866070442, 9849079535 और 040-23233811 आगे और ब्यौरा जानने के लिए इस पर ई-मेल की जा सकती है : apwakfwomen@yahoo.com

कुछ अलग से

जिला पटना के गुलज़ारबर्ग इलाके के सब्जी विक्रेताओं के एक समूह ने लड़कियों का एक स्कूल चला कर बच्चों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया है।

इस इलाके में एक बहुत बड़ी सब्जी-मंडी है और कुशवाहा सम्प्रदाय के यहां के सब्जी-विक्रेताओं ने मंडी के सामने एक बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला है जहां वंचित लडकियों को शिक्षित किया जायेगा। उनका उद्देश्य है कि जो लडकियां वचनाग्रस्त हैं उन्हें बेसिक शिक्षा प्रदान कर जीवन में प्रगति करने में समक्ष बनाया जाये।

समस्त राशि सब्जी-मंडी में सब्जियां बेच कर और दर्वाजे पर चंदा जमा करके उगाही जाती है। तिमंजिले स्कूल भवन में 32 कमरे हैं जहां कक्षाएं लगाई जाती हैं और धर्म-जाति का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। स्कूल में पुस्तकालय, कंप्यूटर शिक्षा और साइंस लेबोरेटरी सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे विद्यार्थीगण अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्थ समझते हैं।

घरेलू कामगार विशेषज्ञ समिति की श्रम आयुक्त के साथ बैठक

घरेलू कामगारों की समस्याओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की उप-समिति ने दिल्ली सरकार के श्रम आयुक्त से मिलकर उन्हें एक पत्र दिया जिसमें कुछ सिफारिशें की गयी थीं। आयोग की सदस्या मालिनी भट्टाचार्य, बाल कल्याण कक्ष की अध्यक्षा सुश्री भारती शर्मा, निर्मला निकेतन के श्री सुभाष भटनागर, अन्य-कालिक घरेलू कामगार मंच के श्री रामेन्द्र कुमार और राष्ट्रीय महिला आयोग के विधि अधिकारी श्री योगेश मेहता ने इन सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। इनमें शामिल हैं :

(क) नियोक्ताओं तथा काम-दिलाऊ एजेंसियों का पंजीकरण
(ख) घरेलू कामगारों की आवश्यकताओं के बारे में नियमों में विशेष प्रावधान
(ग) ऑन-लाइन पंजीकरण के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा
(घ) कानून के क्रियान्वयन पर निगाह रखने के लिए सरकारी अधिकारियों एवं गैर-सरकारी सदस्यों की एक अधिकारिक समिति की स्थापना

इसी बीच, एक कार्यशाला तथा राष्ट्रीय परामर्श के माध्यम से घरेलू कामगारों पर एक विस्तृत विधेयक तैयार करने की दिशा में उपरोक्त उप-समिति कार्य कर रही है।

विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया जायेगा

विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल करने के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली विधान सभा के आगामी अधिवेशन में एक विधेयक प्रस्तुत करेगी। यह विधेयक बाल विवाह, द्वि-विवाह तथा बहु-विवाह की बुराइयों पर रोक लगाने में सहायक होगा। महिलाओं को अपने पतियों से भरण-पोषण पाने, बच्चों की हिरासत लेने और विधवाओं को उत्तराधिकार का दावा करने में भी इस विधेयक से सहायता मिलेगी।

सरकार द्वारा दिल्ली के लिए एक विवाह पंजीयक अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के मुख्य अधिशासी के रूप में यह पंजीयक कार्य करेगा। जो युगल अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करायेंगे उनको जुर्माने और एक वर्ष तक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया जायेगा।

बालिकाओं को प्रोत्साहन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'सम्पदा' नाम से एक नकद हस्तांतरण योजना जारी करेगा जिससे कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को लाभ मिलेगा।

इस योजना के अंतर्गत बालिका के परिवार, जहां तक संभव हो माता, को कुछ शर्तें पूरी करने पर नकद राशि दी जायेगी। ये शर्तें हैं : लड़की के जन्म पर उसका पंजीकरण, टीका लगवाना, स्कूल में दाखिला, स्कूल में कम से कम 85 प्रतिशत उपस्थिति और 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह।

योजना में बच्चे के जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक उसके जीवन के हर चरण पर उसे प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। जन्म का पंजीकरण किए जाने पर उसके नाम मे 5000 रु. जमा कर दिए जायेंगे। तभी उसका एक लाख रूपये का बीमा भी किया जायेगा जिसकी किश्तें सरकार चुकाएगी।

तत्पश्चात; टीका लगवाने के लिए बच्ची को अस्पताल ले जाने पर हर बार 200 रु. सरकार देगी। अंतिम टीका लगवाने के समय बच्ची को 250 रु. दिए जायेंगे।

सरकार बच्ची की शिक्षा में भी सहायक होगी। बच्ची के स्कूल में दाखिला के समय सरकार 1000 रु. देगी और पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक 500 रु. प्रति वर्ष देगी, बशर्ते कि कक्षा में उपस्थिति प्रतिशत की शर्त पूरी हो।

सेकेंडरी स्तर पर स्कूल न छोड़ने के प्रोत्साहन के बतौर सरकार छठवीं कक्षा तक पहुंचने वाली लड़कियों को 1500 रु. देगी और तत्पश्चात जब तक वे हाई स्कूल तक पहुंचेंगी तब तक 750 रु. प्रति वर्ष देगी। अंत में 7000 रु. लड़कियों को तब दिए जायेंगे जब वे अपनी हाई स्कूल की अथवा व्यावसाकिय प्रशिक्षण की पढ़ाई पूरी कर लेंगी।

'सम्पदा' के अंतर्गत दी जाने वाली राशि केन्द्र तथा राज्यों द्वारा दिए जाने वाले अन्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होगी।

आयोग ने जेनिता का मामला हाथ में लिया

राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्मालीन जेनिता के मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे अपने हाथ में लिया है। उसे कथित रूप से अमेरिका में उसके पति तथा ससुरालियों द्वारा सताया और उत्पीड़ित किया जा रहा था।

आयोग की सदस्या निर्मला वेंकटेश ने सुश्री जेनिता का बयान तिरुची में उसके आवास पर रेकार्ड किया।

आरोप के अनुसार कुछ मास पूर्व अमेरिका में जेनिता के पति तथा ससुरालियों द्वारा उसे चलती कार से बाहर ढकेल दिया गया जिससे उसकी कई हड्डीयां टूट गयीं।

आयोग द्वारा यह मामला विदेश मंत्रालय तथा समुद्रपार मामलों के मंत्रालय के साथ उठाया जायेगा और आयोग आश्वस्त करेगा कि उसके पति क्रिस्टी डेनियस को वापस भारत लाया जाये।

जेनिता के पिता श्री एन्थनी की शिकायत पर, तिरूवेंरबूर सर्व महिला पुलिस स्टेशन ने यह मामला दर्ज कर लिया है और इसमें क्रिस्टी डेनियस, उसकी मां चेल्लम तथा बहन लीमा को आरोपी बताया गया है।

महत्वपूर्ण निर्णय

- **21 वर्ष से अधिक की महिला शराब घर में काम कर सकती है :** दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय को सही ठकराते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को सत्कार उद्योग में, जिसमें शराब-घर और शराब परोसने वाले रेस्ट्रां एवं भोजन-गृह भी शामिल हैं, काम पर लगाये जाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए।
- **गोद लेने के नियम :** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ऐसी विवाहित महिला जो अपने पति से अलग रह रही हो पति की सहमति के बिना किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती। किन्तु यदि पत्नी ने तलाक ले लिया हो तो पति की सहमति आवश्यक नहीं है।
- **मानव व्यापार से पीड़ितों के लिए आश्रय-गृह :** यौन शोषण के प्रयोजन से किए गये मानव व्यापार के पीड़ितों को शरण तथा पुनर्वास प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने आश्रय-गृहों की स्थापना की एक योजना तैयार की है ताकि अनैतिक व्यापार के इन पीड़ितों को मुख्य धारा में फिर से लाकर उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था की जा सके। पहले चरण में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गैर सरकारी संगठनों की सहायता से देश के विभिन्न भागों में 45-50 ऐसे आश्रय-गृह खोलेगा।
- **अलग हुई पत्नी भरण-पोषण की हकदार :** विवाहित पत्नियों को भरण-पोषण देने के पक्ष में दिए गये एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अलग हुई पत्नी, भले ही उसकी अपनी आय हो तो भी, अलग होने से पूर्व विवाहित जीवन-यापन करने वाले स्तर को बनाए रखने के लिए भरण-पोषण पाने की हकदार है। यदि पत्नी की व्यक्तिगत आय अपर्याप्त है तो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा कर सकती है।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या नीवा कंवर गोवा कला अकादमी में मुख्य अतिथि के रूप में गयीं और उन्होंने वहां 'पंचायती राज के जरिए भारतीय प्रजातंत्र में महिलाओं की भूमिका' विषय पर भाषण दिया। इससे पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री के घर पर एक बैठक में भाग लिया जहां मुख्यमंत्री ने देश की चयनित महिला उपक्रमियों को पुरस्कृत किया। वह गोवा के राज्यपाल श्री एस.सी.जमीर से भी मिलीं और पूर्वोत्तर राज्यों तथा गोवा में महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की।

- सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने कृष्णा नगर, पश्चिम बंगाल में प्राइमरी अध्यापिकाओं के एक सम्मेलन में भाग लिया। लगभग 100 अध्यापिकाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लड़कियां स्कूल जायें और बीच में ही पढ़ाई न छोड़ें न, इन दोनों बातों में अध्यापिकाओं की भूमिका अहम है।

'महिलाएं एवं मीडिया' विषय पर बोलने के लिए वह आईडीएसपी भी गयीं। बाद में, पश्चिम बंगाल में धरेलू हिंसा पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्यशाला के संबंध में बात करने के लिए वह राज्य महिला आयोग में गयीं।

चम्पा थापा के मामले में अनुवीक्षा करने वह जिला दार्जिलिंग के सुखिया पोकरी में गयीं। राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप द्वारा चम्पा थापा को छुड़ा कर उसके घर भेज दिया गया था। वह चम्पा थापा के परिवार के सदस्यों से भी मिलीं। चम्पा अब अपने भाई के घर पर बस गयी है, यद्यपि उसे अभी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की आवश्यकता है। उसके पति का पता लगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जो कि सेना में है। बच्चों के लिंग अनुपात तथा लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उन्होंने जलपाइगुड़ी में उत्तर बंगाल के सभी 6 जिलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की।

- सदस्या मंजु हेमब्रोम ने दुमका में 'महिलाएं और संपत्ति' विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में राज्य की अनुसूचित जनजातियों में प्रचलित परम्परागत कानूनों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया जिनके अंतर्गत महिलाओं को संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं दिया जाता और परिणामस्वरूप उन पर तरह-तरह के अत्याचार होते हैं जिनमें डायन शिकार भी शामिल है। उन्होंने कहा कि डायन-शिकार को रोकने और इस घिनौने अपराध का दण्ड बढ़ाने के लिए संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

उन्होंने गोड्डा में 'धरेलू हिंसा और कानूनी जागरूकता' पर भी एक कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री हेम्ब्राम ने कहा कि धरेलू हिंसा का एक कारण अपर्याप्त दहेज लाना है। नारी भ्रूण-हत्या और हत्या पर उन्होंने चिंता व्यक्त की।

सुश्री हेम्ब्रोम ने रांची में 'डायन प्रथा' पर आयोजित एक द्वि-दिवसीय कार्यशाला में भी भाग लिया जिसका उद्घाटन राज्यपाल द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में पांच राज्यों के गैर सरकारी संगठन शामिल हुए।

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सब-अर्बन प्रेस, 244/5, गली नं. 13, थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित • सम्पादक : गौरी सेन